UPSR040046062026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अलका पाण्डेय) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**01930

क्रिमिनल मिस/473/2026

ऐस मोहम्मद बनाम. समयदीन

दिनांकः 05.09.2026

पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के लड़के सोनू की शादी दिनाक 24.05.2026 को होना तय था। घटना दिनांक 22.05.2026 समय शाम 08:30 बजे की है प्रार्थी के घर में काफी महमान थे। प्रार्थी के गांव के विपक्षीगण सं01. समयदीन दारू पीकर नशे में मोटरसाईकिल लेकर तेज रफतार से प्रार्थी के घर के पास कट मार रहा था। प्रार्थी के लड़के सोनू ने विपक्षी को मना किया कि घर पर महमानों का आना जाना है किसी को चोट लग सकती है तो विपक्षी समयदीन प्रार्थी के लड़के सोनू को गाली गलौज देने लगा। प्रार्थी के लड़के ने गाली देने से मना किया तो विपक्षी लल्कार कर विपक्षीगण सं० 2. सालिकराम पुत्र चौधरी 3. राम समुझ पुत्र झिंगई 4. शिव नारायन 5. राम प्रसाद पुत्रगण सालिकराम को बुला लिया। सभी लोग लाठी डण्डा लेकर जान से मारने के लिए प्रार्थी के लड़के को खदेड़ लिया तो प्रार्थी का लड़का घर में घुस गया पीछे से विपक्षीगण प्रार्थी के घर में घुस कर प्रार्थी के लड़के को मारा पीटा। प्रार्थी ने बीच बराव कराने आया तो प्रार्थी को भी मारा पीटा। घटना को आस पास के लोगों ने देखा तथा बीच बराव कराया था। विपक्षीगण प्रार्थी को जान से मारने की एलानिलया धमकी देकर चले गये थे। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के सम्बंध में कोई अभियोग थाना पर पंजीकृत नही है।

प्रार्थी ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस

व आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत समस्त कागजातों का अवलोकन किया।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 173(4) बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निस्तारण करते समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग सजगता से करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मकसूद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5, एस 0 सी0 सी0 668** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात् ही धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश पारित करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यांत्रिक एवं कैजुअल तरीके से इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री निवास गुंडलरी व अन्य बनाम सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कास्ट्रक्शन कारपोरेशन एवं अन्य, 2011 (1) सी0 सी0 एस 0 सी0, 171 (एस 0 सी0)** में यह सम्प्रेषण किया गया है कि आवेदन अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के निस्तारण के समय न्यायालय को सजग रहना चाहिए।

जी0 सागर सूरी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2000 (2) एस 0 सी0 सी0 पेज 636 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि फौजदारी न्यायालय का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि वह दीवानी प्रकृति के प्रकरण में पक्षकारों पर दबाब बनाने के लिए या हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य प्रति उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य (2015)6 ए 0 सी0 सी0 287 के पैरा 30 व 31 एवं विधि व्यवस्था ललिता कुमारी प्रति उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य 2009(64) ए 0 सी0 सी0 2014** के सम्प्रेक्षित सिद्धान्तों के आलोक में विस्तृत आख्या आहूत की गयी। थाना प्रभारी मल्हीपुर द्वारा प्रकरण की जॉच कर विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त के अनुसार आवेदक के लड़के सोनू द्वारा विपक्षी समयदीन को चाकू से हमला कर दिया था जिसके संबंध में मु0 अ 0 सं0 0080/2026. धारा 109,115(2), 352, 118(1) BNS व 3(1) द, 3(1), 3(2)va SC/ST Act थाना स्थानीय पर पंजीकृत है जिसकी विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय भिन्गा द्वारा की गयी। जिसमें विवेचक श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय भिन्गा के निर्देशन में अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा

गुणदोष के आधार पर आरोप पत्र सं0– A–80/2026 दिनांक 08.06.2026 को प्रेषित किया जा चुका है। उससे बचने के लिये आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक ऐश मोहम्मद उपरोक्त के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में आवेदक के पुत्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने के कारण आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रा० पत्र में विपक्षीगण के विरूद्ध जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं उसके परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी की जॉच आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक के लड़के सोनू द्वारा विपक्षी समयदीन को चाकू से हमला कर दिया था जिसके संबंध में मु0 अ 0 सं0 0080/2026. धारा 109,115(2), 352, 118(1) BNS व 3(1) द, 3(1), 3(2)va SC/ST Act थाना स्थानीय पर पंजीकृत है जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा गुणदोष के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा उक्त मुकदमें से बचने के लिए व विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से तथ्यों का विलोपन करके यह प्रार्थना–पत्र प्रायोजित रीति से विपक्षीगण के विरूद्ध दायर कर दिया गया है। पत्रावली पर मारपीट के सम्बन्ध में कोई आघात आख्या संलग्न नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रार्थी के आवेदन के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत नहीं है तथा आवेदन सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी ऐश मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

(अलका पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती